20

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 दो/निगरानी/~~मुरैना~~/भू–रा0/2018/

II/निगरानी/भिण्ड/भू.रा/2018/1463

उदयवीर सिंह तनय पान सिंह
जाति ठाकुर, निवासी – ग्राम छैकुरी,
तहसील गोहद, जिला भिण्ड, म0प्र0

.........आवेदक

श्री रजनी वशिष्ठ शर्मा
27/2/18 को
प्रारंभिक तर्क हेतु
6-3-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 27-2-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

म0प्र0 शासन, द्वारा ~~अपर आयुक्त, मुरैना,~~ कलेक्टर
~~चम्बल संभाग,~~ ~~मुरैना,~~ जिला - भिण्ड, म0प्र0

..........अनावेदक

27/2/18

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.02.2018 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त मुरैना, चम्बल संभाग, के प्र0क0 0502/अपील/2017–18 विरूद्ध आदेश दिनांक 01.02.2018 पारित द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड के प्र0क0 22/14–15/बी–121 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1– यह कि, आवेदक ग्राम छैकुरी तहसील गोहद का स्थायी निवासी होकर कृषिजीवी व्यक्ति है। तथा कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषंण करता है। कृषि के अतिरिक्त आवेदक एवं उसके परिवार का जीवन यापन का अन्य कोई साधन नहीं है।

महाधिवक्ता, ग्वालियर
26/2/18

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो / निगरानी / भिण्ड / भू.रा / 2018 / 1463

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआ दि के हस्ताक्षर
4-4-18	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से पैनल अधिवकता उपस्थित। 2–आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 502 / अपील / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 1.02.2018 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि आवेदक ग्राम छैंकुरी से लगा हुआ ग्राम सिरसी है जिसमें सर्वे कमांक 400 / 3 रकवा 5.270 है0 भूमि का पटट्ा तहसीलदार वृत्त अमायन द्वारा प्रकरण कमांक 5 / अ719 / 1988–89 में पारित आदेश दिनांक 28.12.1989 के द्वारा प्रदाय किया गया। नवीन बंदोवस्त के उपरांत नवीन सर्वे कमांक 576 हो गया। राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम इन्द्राज हुआ तथा आवेदक को भू–अधिकार ऋण पुस्तिका भी प्रदान की गई। आवेदक का नाम कम्प्यूटर में वर्ष 2012–13 तक दर्ज रहा लेकिन 2012–13 के पश्चात तकनीकी त्रुटि के कारण सर्वे कमांक 576 में आवेदक का नाम विलुप्त हो गया। आवेदक द्वारा कम्प्यूटर में नाम दर्ज कराने हेतु कलेक्टर जिला भिण्ड कार्यालय में आवेदन दिया गया जिस पर कलेक्टर न्यायालय ने प्रकरण कमांक 12 / अ–74 / 2014–15 दर्ज किया जाकर	

तहसीलदार वृत्त अमायन के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश दिनांक 4.4.15 द्वारा आवेदक का नाम सर्वे कमांक 576 पर इन्द्राज करने का आदेश पारित किया। कलेक्टर के आदेश के बावजूद भी कम्प्यूटर में नाम दर्ज नहीं हुआ तो आवेदक द्वारा मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में रिट याचिका कमांक 7960/15 प्रस्तुत की और उक्त याचिका द्वारा आदेश दिनांक 27.11.15 द्वारा आवेदक का कम्प्यूटर में नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये। तहसीलदार वृत्त अमायन द्वारा गोपनीय तौर पर प्रकरण कमांक 7/अ–6 अ/2014–15 प्रचलित किया। जिसकी जानकारी होने पर आवेदक ने राजस्व मण्डल ग्वालियर में प्रकरण कमांक निगरानी 649–एक/16 दायर की जिसमें आदेश दिनांक 5.6.17 को मान0 उच्च न्यायालय एवं कलेक्टर जिला भिण्ड के आदेश दिनांक 4.4.15 के तारतम्य में राजस्व मण्डल द्वारा कम्प्यूटर में नाम दर्ज करने के आदेश दिये, लेकिन अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव द्वारा प्रकरण कमांक 12/2014–15/अ–74 में पारित आदेश दिनांक 4.4.15 के प्रकरण को पुनर्वालोकन में लिये जाने हेतु कलेक्टर जिला भिण्ड़ की ओर भेजा गया। कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 22/बी–121/2014–15 दर्ज कर दिनांक 1.2.18 को आदेश पारित किया गया। जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा दिनांक 15.2.18 को आदेश पारित करते हुये कलेक्टर जिला भिण्ड का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई। इसी से दुखित होकर यह

निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक ग्राम छैंकुरी से लगा हुआ ग्राम सिरसी है जिसमें सर्वे कमांक 400/3 रकवा 5.270 है0 भूमि का पटट्ा तहसीलदार वृत्त अमायन द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ719/1988–89 में पारित आदेश दिनांक 28.12.1989 के द्वारा प्रदाय किया गया। नवीन बंदोवस्त के उपरांत नवीन सर्वे कमांक 576 हो गया। अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव द्वारा प्रकरण कमांक 12/2014–15/अ–74 में पारित आदेश दिनांक 4.4.15 के प्रकरण को पुनर्वालोकन में लिये जाने हेतु कलेक्टर जिला भिण्ड़ की ओर भेजा गया। कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 22/बी–121/2014–15 दर्ज कर दिनांक 1.2.18 को आदेश पारित किया गया है वह त्रटिपूर्ण है क्यों कि तहसीलदार द्वारा दखल रहित अधिनियम वर्ष 1984 के तहत कब्जा प्रमाणितं होने पर भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किये गये हैं। पूर्व कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा दिनांक 4.4.15 को आवेदक के पटटे का इन्द्रांज करने का आदेश दिया गया है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि आवेदक को विधिवत जरिये प्रकरण कमांक 5/अ719/1988–89 में पारित आदेश दिनांक 28.12.1989 द्वारा ग्राम सिरसी के सर्वे कमांक 576 रकवा 5 है0 का पटट्ा प्रदाय किया गया था तथा राजस्व अभिलेख में भी नाम दर्ज हो गया था लेकिन कूट रचित कार्यवाही की गई है जो निरस्ती योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश निरस्त किया जावे।

5— शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश दिनांक विधि प्रकिया के तहत पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

6—उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक का ग्राम छैंकुरी से लगा हुआ ग्राम सिरसी है जिसमें सर्वे कमांक 400/3 रकवा 5.270 है0 भूमि का पटट्ा तहसीलदार वृत्त अमायन द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ719/1988—89 में पारित आदेश दिनांक 28.12.1989 के द्वारा प्रदाय किया गया था। जिसका बंदोवस्त के दौरान नवीन सर्वे कमांक 576 हो गया। राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम इन्द्राज हुआ । बन्दोवस्त वर्ष 1993 अधिकार अभिलेख की सत्यप्रतिलिपि भी प्रदाय की गई है, जिसमें आवेदक का नाम अंकित है। आवेदक का नाम कम्प्यूटर में वर्ष 2012—13 तक दर्ज रहा लेकिन 2012—13 के पश्चात तकनीकी त्रुटि के कारण सर्वे कमांक 576 में आवेदक का नाम विलुप्त हो गया। कलेक्टर के यहां आवेदन दिया जिस पर से कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा दिनांक 4.4.15 को नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन प्राप्त कर उसके अनुसार नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नाम दर्ज नहीं किया उसके पश्चात मान0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.11.15 एवं राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 5.6.17 के आदेश के बाद भी

कम्प्यूटर में नाम दर्ज नहीं किया गया। कलेक्टर जिला भिण्ड के द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.2.18 के पैरा 9 में यह लेख किया गया है कि ''पटटे से प्राप्त करने संबंधी प्रकरण शेध करने के उपरांत भी प्राप्त नहीं हुआ है तथा अनुविभागीय अधिकारी एव नायब तहसीलदार अमायन के प्रतिवेदन दिनांक 12.5.15 के अनुसार नायब तहसीलदार न्यायालय के दायरा वर्ष पंजी 1988–89 में दर्ज होना नहीं पाया जाता'' जबकि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दायरा पंजी की सत्यप्रतिलिपि की छाया प्रतिलिप प्रस्तुत की जिसमें उदयवीर सिंह वनाम म0 प्र0 शासन अंकित है, इस ओर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना एवं कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा आदेश के पैरा–9 में यह भी लेख किया गया है कि बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के पृविष्टि अवैधानिक है, जबकि खसरा पांचशाला संवत् 2046 से संवत् 2050 में कलेक्टर के आदेश के अनुसार सर्वे नं0 की पृविष्ट के आदेश दिये गये है जिस ओर न तो अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा ध्यान दिया गया है और न ही कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा ध्यान दिया गया है। आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार अमायन की पंजी में प्रकरण दर्ज है और इसी प्रकार खसरा पांचशाला में कलेक्टर के आदेश के अनुसार उसको चरनोई भूमि से काबिल कास्तकार घोषित किया गया है। प्रकरण में इन बिन्दुओं पर जांच करना आवश्यक प्रतीत होता है:–

अ–क्या नायब तहसीलदार अमायन की पंजी में प्रकरण दर्ज है?

ब–क्या तत्कालीन कलेक्टर के आदेश से चरनोई भूमि से काबिल कास्त घोषित किया गया है?

स–क्या पांचशाला खसरा में संवत् 2046 से संवत् 2050 में काबिलकास्त घोषित किया है?

इन बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है। अतः अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का प्रकरण कमांक 502/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 15.2.18 एवं कलेक्टर जिला भिण्ड का प्रकरण कमांक 22/बी–121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 1.2.18 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण कलेक्टर जिला भिण्ड को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में ऊपर दर्शाये बिन्दुओं की, आवेदक को सूचना एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जावे, तथा उसके पश्चात पुनः जांच कर आदेश पारित किया जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य